संख्याः 170/2024/ 33बीपी/35-1-2024/35-1099/90/2023(पार्ट-1)

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांकः 11 नवम्बर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कृषि विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी से सम्बन्धित निम्नलिखित 02 परियोजनाओं की रू. 2608.14 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 2608.14 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ आठ लाख एवं चौदह हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये एन0बी0सी0सी0 लिमिटेड कार्यदायी संस्था होगी:-

(रू. लाख में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जैविक/प्राकृतिक रूप से उगाए गए उत्पादों के लिए प्रमाणन प्रयोगशाला की स्थापना	1272.10	1272.10
2	रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में न्यूट्री-सीरियल्स हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना	1336.04	1336.04
	योगः	**2608.14**	**2608.14**

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय नीति आयोग, भारत सरकार के पत्र सं.एफ नं. क्यू 11022/08/2015-एग्री.एफटीएस 2838 दिनांक 30 मई, 2018 एवं पत्र सं.एफ नं. क्यू 11022/02/2017-एग्री.(पार्ट)ई18361 दिनांक 29 फरवरी,2024 द्वारा लगाई गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन माइलस्टोन्स/टाइम लाइन्स सहित विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए किया जायेगा।
2. उपरोक्त परियोजना हेतु उपलब्ध हुई धनराशि एवं कार्य योजना की फॉट तैयार कर तत्काल अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत/उपलब्ध हुई है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना/शर्तों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमावधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
7. प्रश्नगत परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियमानुसार यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रशासकीय विभाग द्वारा (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 के क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024- 231/2024, दिनाँक 19 जून, 2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रशासकीय विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित हैं।
10. प्रश्नगत कार्य हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च,2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगाऔर यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च,2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रत्येक कार्य स्थल की विशिष्ट परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए उसका विस्तृत आगणन तैयार कराते हुए सक्षम स्तर की स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
12. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
13. कार्य स्थल पर इन्हें बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेगें।
14. कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी तथा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15. प्रशासनिक विभाग द्वारा नियमानुसार लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
16. परियोजना में रखे गये लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कृषि विभाग पूर्णतः उत्तरदायी होगा तथा कार्यों से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
17. कृषि विभाग द्वारा समय समय पर कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।
18. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
19. आगणन का गठन कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर किया गया है। वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/77 दिनांक 22.03.2021 के अनुसार अपरिहार्य कारणोंवश यदि आगणनों का गठन कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर किया जाता है तो प्रशासकीय विभाग / कार्यदायी संस्था का यह दायित्व होगा की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त उसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकति के सापेक्ष 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है। तो प्रायोजना का पुनरीक्षत आगणन गठित कर पुनः परीक्षण कराया जायेगा।
20. आगणन का गठन एन०बी०सी०सी० लिमिटेड द्वारा किया गया है जो कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0-5/2015/ई-8-1092/दस-2015-1074/2012 दिनांक 08.09.2015 के अनुसार राजकीय कार्यदायी संस्था घोषित नहीं है। अतः प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित 5 प्रतिशत एजेन्सी चार्ज तथा 1 प्रतिशत कन्स्लटेन्सी चार्ज के सापेक्ष 4.50 प्रतिशत (कार्य की लागत पर 5 प्रतिशत की कमी के उपरान्त 10 प्रतिशत चार्ज अनुमन्य होने से प्रभावी दर 4.50 प्रतिशत) सेन्टेज चार्ज अनुमन्य कर एवं कन्स्लटेन्सी चार्ज पृथक से अनुमन्य न करते हुए लागत का आंकलन किया गया है।
21. परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि विभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथाशीघ्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 12,72,10,000 (रुपये बारह करोड़ बहत्तर लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्षक 4575028000402 जैविक प्राकृतिक रूप से उगाए गए उत्पादों के लिए प्रमाणन प्रयोगशाला की स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 13,36,04,000 (रुपये तेरह करोड़ छत्तीस लाख चार हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्षक 4575028000403 झांसी मे न्यूट्री सिरियल्स हेतु सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स की स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-91-X-2024-25, दिनांक 09-11-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्याः 170/2024/ 33बीपी(1)/35-1-2024/35-1099/90/2023(पार्ट-1) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/ सचिव, कृषि/कृषि शिक्षा एव अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी।
7. जिलाधिकारी, झांसी ।
8. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी ।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, झांसी।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।